न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , अजमेर केम्प कोर्ट पालरा

पीठासीन अधिकारी महावीर सिंह आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 19/2011

श्रीमति पूजा देवी धर्मपत्नि श्री राजकुमार बलेरिया निवासी प्लाट नम्बर 17/पी विजयसिह पथिक नगर धोलीाााटा अजमेर जरिये मुख्तयारआम राजकुमार बलेरिया पुत्र श्री नानकराम जी बलेरिया जाति कोली निवासी प्लाट नम्बर 17 विजयसिह पथिक नगर धोलाभाटा अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. मंगलचन्द पुत्र श्री हजारी (हजारी पुत्र श्री लाला) जरिये वारिसान :–
   1/1 श्रीमति राजी बाई धर्म पत्नि श्री मंगलचंन्द
   1/2 नेमीचन्द पुत्र श्री मगलचन्द
   दोनो जाति भांबी निवासी ग्राम बडवाली का बाडिया पालरा तहसील व जिला अजमेर
   1/3 श्रीमति रतनी पुत्री श्री मंगलचन्द पत्नि हरीलाल जाति भांबी निवासी बडल्या तहसील व जिला अजमेर
2. उगमाराम पुत्र श्री हजारी जरिये वारिसान :–
   2/1 अनोपी देवी बेवा उगमाराम
   2/2 शैतानलाल पुत्र उगमाराम
   दौनो जाति भांबी निवासी ग्राम पालरा तहसील व जिला अजमेर
   2/3 सेठी पुत्री उगमाराम पत्नि शिवप्रसाद निवासी मियापुर तन सराधना तहसील व जिला अजमेर
   2/4 संतोष पुत्री उगमाराम पत्नि अशोक जाति भांबी निवासी दाता तहसील व जिला अजमरेर
3. भोमाराम पुत्र श्री हजारी मृतक जरिये वारिसान :–
   3/1 श्रीमति केसर बेवा श्री भोमाराम
   3/2 कमल पुत्र श्री भोमाराम
   समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम पालरा तहसील व जिला अजमेर
4. श्रीमति शाना पुत्री भोमाराम पत्नि श्री अणदा जी जाति भांगी निवासी ग्राम नोलखा तहसील व जिला अजमेर
5. श्रीमति गलकू पुत्री श्री भोमाराम पत्नि श्री छोटू जी जाति भांबी निवासी चूंगी नाका मदार अजमेर तहसील व जिला अजमेर
6. श्रीमति बीरी पुत्री श्री भोमाराम पत्नि श्री गोगा जी जाति भांबी निवासी ग्राम कोटडा तहसील व जिला अजमेर
7. सीताराम पुत्र श्री हजारी मृतक जरिये वारिसान
   7/1 श्रीमति रूकमा बेवा श्री सीताराम
   7/2 नन्दराम पुत्र श्री सीताराम
   समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम पालरा तहसील व जिला अजमेर
8. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय अजमेर

अप्रार्थी

Scanned by CamScanner

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 128,131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 10.12.2021

आदेश

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान ग्राम पंचायत पालरा में मजमेंआम पेश हुई। पेरोकार सरकार एवं तहसीलदार अजमेर उपस्थित। उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,132,131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136,132,131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की जर खरीद खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात खाता संख्या 398 वर्किंग खसरा संख्या 2169 रकबा 1–3–00 जिसके आधर भूति खसरा नम्बर 2205 रकबा 0.19 हैक्टर कायम किये गये। जो ग्राम पालरा तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीया बरवक्त खरीद से बहेसियत खातेदार काबिज काश्त चली आ रही है। उक्त आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार वर्किंग जमाबंदी के अनुसार हजारी पुत्र श्री लाला जाति भांभी थे, रिनजका स्वर्गवास होने पर उनके वारिसान यथा भोमाराम, मंगलसिंह, सीताराम, उगमाराम पुत्रान श्री हजारी के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 383 दिनांक 13.12.85 को विरासत तस्दीक की जाकर वर्किंग जमाबंदी में अमल दरामद किया गया है। रिकार्डेड खातेदारान/अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 से उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीया ने जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त किया जिसके आधार पर प्रार्थीया के नाम नामान्तकरण संख्या 816 दिनांक 5.6.2008 को तस्दीक किया जाकर वर्किंग जमाबंदी में अमल दरामद किया गया । बन्दोबस्त विभाग द्वारा मुर्तिब मिसल बंदोबस्त खतौनी जमाबंदी संवत 2064–2083 यानि सन् 2007 से 2026 में उक्त आराजीयात आधारभूत खसरा नम्बर 2205 रकबा 0.19 हैक्टयर पुनः विक्रेतागण के नाम दर्ज कर दी है तथा नक्शा ट्रेस सन् 1984–85 जिसमें आधारभूत खसरा संख्या 2205 अंकित किया गया है का रकबा भी मूल रकबा 1–3–0 बीघा अर्थात 0.19 हैक्अयर के बजाए कम दर्शाया गया है जिसकी दुरूस्ती की जाकर आधारभूत खसरा संख्या 2205 में प्रार्थिया के नाम दर्ज की जाकर बदोबस्त विभाग द्वारा मुर्तिब आधारभूत नक्शा ट0170ेस में भी खसरा संख्या 2205 का रकबा 0.19 हैक्टयर दुरूस्त किया जाना है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर बंदोबस्त विभाग द्वारा मुर्तिग खतौनी जमाबंदी संवत 2064 लगायत

Scanned by CamScanner

2083 में अंकित आधारभूत खसरा संख्या 2205 रकबा 0.19 हैक्टयर वर्किंग जमाबंदी की भांति प्रार्थीया के नाम दर्ज की जाकर हाल मुर्तिब आधारभूत नक्शा ट्रेस सन् 1984–85 में खसरा संख्या 2205 का रकबा 0.19 हैक्टयर अर्थात 1–3–0 बीघा दर्शाया जाकर हाल नक्शा ट्रेस में एवं खतौनी जमाबंदी में दुरूस्ती का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/3, 2/1 से 2/4, 3/1, 3/2,4,5, 7/1, 7/2, 6 नोटिस तामिल बावजूद गेर हाजिर होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

दौराने कैम्प तहसीलदार अजमेर के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थिया द्वारा ग्राम पालरा के गत खसरा नम्बर 2169 रकबा 1–3–0 की जमाबंदी एवं राजस्व मानचित्र अनुसार हाल रेकार्ड एवं राजस्व मानचित्र में नवीन खसरा नम्बर 2205 रकबा 0.19 ही दुरूस्ती चाही गई है। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा वर्किंग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 816 दिनांक 5.6.2008 से प्रार्थिया का नाम दर्ज है। परन्तु हाल नवीन रेकार्ड में हाल खसरा नम्बर 2205 रकबा 0.19 पर पुनः विकेतागण एवं विकेतागण के वारिसान का अंकन दर्ज हो गया है। अतः नवीन रेकार्ड में वर्किंग जमाबंदी एवं नामान्तकरण संख्या 816 दिनांक 5.6.2008 के अनुसार प्रार्थिया के नाम अंकन हेतु दुरूस्ती उचित प्रतीत होती है। गत खसरा नम्बर 2169 का वर्किंग राजस्व मानचित्र जीर्णशीर्ण तथा राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 2169 का स्पष्ट अंकन नही होने के कारण प्रार्थिया द्वारा हाल राजस्व मानचित्र में नवीन खसरा नम्बर 2205 की शुद्वि हेतु अनुशंषा उचित प्रतीत नही होती है।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार अजमेर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिया द्वारा ग्राम पालरा के गत खसरा नम्बर 2169 रकबा 1–3–0 की जमाबंदी एवं राजस्व मानचित्र अनुसार हाल रेकार्ड एवं राजस्व मानचित्र में नवीन खसरा नम्बर 2205 रकबा 0.19 ही दुरूस्ती करवाने एवं प्रार्थीया का वर्किंग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 816 दिनांक 5.6.2008 से नाम दर्ज होना अवगत करवाते हुए हाल राजस्व रेकार्ड में नामान्तकरण संख्या 816 दिनांक 5.6.2008 के अनुसार प्रार्थिया के नाम अंकन हेतु दुरूस्ती उचित प्रतीत होना अवगत करवाया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार

Scanned by CamScanner

अजमेर को आदेश दिये जाते है कि ग्राम पालरा के खसरा नम्बरर 2206 पर नामान्तरण सं. 806 दिनांक 5.6.2008 के अनुसार जरिये नामान्तरण इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में राजस्व मानचित्र में चाही गई दुरूस्ती का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर राजस्व मानचित्र में चाही गई दुरूस्ती अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 10.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया ।

महावीर सिंह
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर